## कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 817 राँची, दिनांक :- 04/9/2024

सेवा में.

सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

जमशेदपुर वन प्रमंडल अर्न्तगत मेसर्स झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 का विषय : बहरागोड़ा–धालभूमगढ़ 132 KV/DC ट्रांसमिशन निर्माण हेतु कुल–8.763 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

वन विभागीय पत्रांक 3453 दिनांक 29.08.2024 प्रसंग :

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक वन एवं जलवायू FP/JH/Trans/35396/2018/3243 दिनांक 27.06.2019 द्वारा कुल 8.763 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रदत्त स्टेज–I की स्वीकृति में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 1042 दिनांक 25.08.2019 एवं पत्रांक 713 दिनांक 05.08.2024 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। जिसमें शर्त सं0 17 (ऑन-लाईन अनुपालन प्रतिवेदन) हेतु पृच्छा की गयी है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दु का निराकरण शर्त सं० 17 का (ऑन–लाईन अनुपालन प्रतिवेदन) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 29.08.2024 को website पर अपलोड कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–1 की स्वीकृति में लगाई गयी सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा बचनबद्धता दी गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त शर्त सं0 17 का ऑन-लाईन अनुपालन प्रतिवेदन भेजते हुये अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 8.763 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतू अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाइ करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

दिनांक- 04/9/2024 ज्ञापांक- 817 प्रतिलिपिः— वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर / M/S JUSNL, अधीक्षण अभियंता, ट्रांसमिशन अंचल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

4. 7.24

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1042 दिनांक:- 25.8.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- जमशेदपुर वन प्रमंडल अर्न्तगत मेसर्स झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 का बहरागोड़ा–धालभूमगढ़ 132 KV/DC ट्रांसमिशन निर्माण हेतु कुल–8.763 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्र संख्या FP/JH/TRANS/35396/2018/3243 दिनांक 27.06.2019 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 8.763 हेo वनभूमि अवयोजन हेतु कुल 17 शर्तो पर Stage–I की स्वीकृति प्रदान की गई है।, शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन एवं कार्यानुमाति हेतु अनुशंसा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के पत्रांक 2808 दिनांक 20.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा Stage–I की स्वीकृति में लगाई गई शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्द्वार निम्नवत है:–

Sl no.	Conditions	Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure - A
2	Compensatory afforestation: a) Compensatory aforestation shall be taken up by the Forest Department over 18 ha degraded forest land (Thana No. Ghatsila/ 717. Plot No. 178 in Kadamdiha under Jamshedpur FD) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will he planted and monoculture of a species has to be avoided.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 44,69,426 / – (चौवालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ छब्बीस रूपये) मात्र क्षतिपूरक वनरोपण की राशि Ad- hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली (कोड–0371) में चालान द्वारा स्थानान्तरित कर CA Levies Format संलग्न की गई है। Annexure -B

(156)			
	¢	b) The cost of compensatory aforestation at the prevailing wage rates as per compensatory aforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारो 3,06,950 / – (तीन लाख छः हजार नौ सौ पचास रूपये) मात्र पिलर स्थापित करने की राशि Ad-hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉग्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली (कोड–0371) में चालान द्वारा स्थानान्तरित कर CA Levies Format संलग्न की गई है। Annexure - B
03 88		scheduled for subsequent years.	
a tele second traine second traine traine traine	3	<ul> <li>NPV :</li> <li>a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 8.763 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002. 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5 -1/1998 -FC (Pt. II) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5 -2/2006 -FC dated 03/10/2006 and 5 -3/2007 -FC dated 05/02/2009 in this regard.</li> <li>b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after</li> </ul>	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 70,36,689 / – (सत्तर लाख छत्तीस हजार छः सौ नवासी रूपये) मात्र NPV की राशि Ad-hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली (कोड–0371) में चालान द्वारा स्थानान्तरित कर CA Levies Format संलग्न की गई है। Annexure - B & C
ald part	n dir	forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -D
	4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e -portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न–भिन्न मदों में जमा की गई राशि की विवरणी निम्नवत् है:– NPV मद में – 7036689 CA मद में – 4469426 CA land सीमांकन के साथ स्थाई सीमा स्तम्भों की स्थापना मद में – 306950
			Dwarf Species Plantation मद में – <u>6258705</u> <b>कुलः– 18071770</b> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी राशियों को Ad-hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली (कोड–0371) में चालान द्वारा स्थानान्तरित कर CA Levies Format संलग्न की गई है। Annexure -B
3.1	5	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया

	The boundary of the divert of f	AST
	suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	<ul> <li>नहीं किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है।</li> <li>प्रयोक्ता अभिकरण से इस शर्त का अनुपालन सम्प्रति लंबित है, इस शर्त के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय पदाधिरियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण से पुनः अनुरोध किया जा रहा है।</li> </ul>
7	the User Agency with the State Forest Department.	हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -L
8	Width of Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 27 m.	लिखित सहमति दी गई है।
9	The User Agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintaining necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals like elephant. In case transmission line passing through elephant reserves/ corridors. Additional clearances of at least 6 m shall be provided over and above minimum clearance [as stipulated under Central Electricity Authority (Measures relating to safety & Electricity Supply) Regulations. 2010] above the ground from the lowest conductor of the transmission lines.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लिखित सहमति दी गई है।
10	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line. User Agency shall comply with the following guidelines: a) The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of only. The trees on such strips may be felled but 132 KV D/C line will be 3 m after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure –G
	b) Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	To basis of burning of one
	c) In the remaining width of Right of Way felling/ pollarding pruning of trees will be done with the permission of the local Forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to he felled or lopped to the extent required for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	Alexandria (1990)     Alexandria (1990)

154)		
	d) The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line. as prepared shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण हो 62,58,705 / – <u>(</u> बासठ लाख अन्ठावन हजार सात सौ पाँच रूपये) मात्र बौने प्रजाति के वृक्षों के वनरोपण की राशि Ad -hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली(कोड–0371) में चालान
	e) In case a portion of the Transmission Line to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be felled.	द्वारा स्थानान्तरित कर CA Levies Format संलग्न की गई है। Annexure -B & E
11	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लिखित सहमति दी गई है।
12	a) No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -H
	b) Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -I
13	The period of diversion under this approval shall be co -terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लिखित सहमति दी गई है।
14	<ul><li>a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.</li><li>b) The forest land proposed to be diverted shall</li></ul>	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -J इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
	under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -J
15	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/2017 -FC dt. 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -K
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -K
17	The compliance report shall be uploaded on e - portal ( <u>https://parivesh.nic.in</u> )	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लिखित सहमति दी गई है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय रांची, द्वारा प्रदत्ते स्टेज-I में लगाई गई शर्तो में शर्त संo 6 को छोड़ कर अन्य शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है, अथवा बचनबद्धता दी गई है। साथ ही CA Levies formate भरते हुऐ कार्यानुमति की मांग की गई है, इस हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के द्वारा अनुशंसा की गई है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कार्यानुमति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। शर्त सं0 6 (अपयोजन के लिए प्रस्तावित वनभूमि का सीमा स्तम्भों से सीमांकन) का अनुपालन प्राप्त होने के पश्चात स्टेज-I का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई की जायगी।

संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु-यथोक्त। अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

> विश्वासभाजन ह0/– प्रधान मुख्य वन संरक्षक--सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

## ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> ह0/--प्रधान मुख्य वन संरक्षक--सह--कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

## ज्ञापांक 1042

SA.S.

## दिनांक 25.8.19

प्रतिलिपि :- M/S JUSNL, अधीक्षण अभियंता, ट्रांसमिशन अंचल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन सरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kor. 25.8.19

कार्यालयः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर। (वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो०-सोनारी, जमशेदपुर-831011) दूरभाष संख्या- 0657-2222995, मेल- rccf -singhbhum@gov.in



पत्राक.

2808 / जमशेदपुर -11, दिनांक. 20-08-19 जहां है वरियाली

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, -सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची ।

- जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड का बहरागोड़ा-धालभूमगढ़ 132 KV/DC ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 8.763 हे० वनभूमि अपयोजन का विषय :--प्रस्ताव के संबंध में।
- प्रसंग :--

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्र संख्या FP/JH/TRANS/35396/2018/3243 दिनांक 27 .06 .2019 2. भवदीय ज्ञापांक 732 दिनांक 28 .06 .2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सादर कहना है कि विषयक वनभूमि अवयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के प्रासंगिक पत्र संख्या – 1 द्वारा 17(सतरह) शर्त्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति (Stage – I) प्रदान की गयी है । भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति (Stage – I) में लगाए गए शत्तों का अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर के ज्ञापांक 2630 दिनांक 19 .08 .2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है । वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शत्तों के

अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :--

Sl no.	Conditions	Compliance इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस रात के अनुपालन में मेधानिक स्थिति यथावत रखने हेतु वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure - A
2	Compensatory afforestation: a) Compensatory aforestation shall be taken up by the Forest Department over 18 ha degraded forest land (Thana No. Ghatsila/ 717. Plot No. 178 in Kadamdiha under Jamshedpur FD) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will he planted and monoculture of a species has to be avoided.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 44,69,426 / – (चौवालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ छब्बीस रूपये) मात्र क्षतिपूरक वनरोपण की राशि Ad-hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली (कोड–0371) में चालान द्वारा स्थानान्तरित कर CA Levies Format संलग्न की गई है। Annexure -B

	N N
b) The cost of compensatory aforestation prevailing wage rates as per compen- aforestation scheme and the cost of demarcation and erection of permanent p required on the CA land shall be depose advance with the Forest Department project authority. The CA will be maintain 10 years. The scheme may include appro- provision for anticipated cost increase for scheduled for subsequent years.	nsatory survey, billars if ited in by the format संलग्न की गई है। Annexure -B
<ul> <li>3 NPV :</li> <li>a) The State Government shall charge the Present Value (NPV) for the 8.763 ha forest to be diverted under this proposal from the Agency as per the order of the Hon'ble Sul Court of India dated 30/10/2002. 01/08, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as p guidelines issued by the Ministry vide letter 5 -1/1998 -FC (Pt. II) dated 18/09/2003. a as letter No. 5 -2/2006 -FC dated 03/10 and 5 -3/2007 -FC dated 05/02/2009 in regard.</li> </ul>	st area e User preme /2003, in IA er the rs No. s well /2006
b) Additional amount of the NPV of the div forest land, if any, becoming due finalization of the same by the Hon'ble Sup Court of India on receipt of the report from Expert Committee shall also be charged b State Government from the User Agency. User Agency shall furnish an undertaking to effect.	after after meme n the . The
4 All the funds received from the user ag under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e -p (https://parivesh.nic.in)	ed / and and a set of a new office and the
5 The complete compliance of the FRA. 2006 be ensured by way of prescribed certificate t the concerned District Collector.	from सिंहभूम से निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। Annexure -F
6 The boundary of the diverted forest land sha suitably demarcated on ground at the pro- cost, as per the directions of the concer Divisional Forest Officer.	pject man + + +
7 The cost of felling of tress shall be deposited the User Agency with the State Fo Department.	d by इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति rest व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -L

8	Width of Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 27 m.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लिखित सहमति दी गई है।
9	The User Agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintaining necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals like elephant. In case transmission line passing through elephant reserves/ corridors. Additional clearances of at least 6 m shall be provided over and above minimum clearance [as stipulated under Central Electricity Authority (Measures relating to safety & Electricity Supply) Regulations. 2010  above the ground from the lowest conductor of the transmission lines.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लिखित सहमति दी गई है।
10	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line. User Agency shall comply with the following guidelines: a) The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of only. The trees on such strips may be felled but 132 KV D/C line will be 3 m after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गया है। Annexure -G
	<ul> <li>b) Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.</li> <li>c) In the remaining width of Right of Way felling/ pollarding pruning of trees will be done with the permission of the local Forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to he felled or lopped to the extent required for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.</li> </ul>	
	d) The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line. as prepared shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 62,58,705 / – (बासठ लाख अन्ठावन हजार सात सौ पाँच रूपये) मात्र बौने प्रजाति के वृक्षों के वनरोपण की राशि Ad - hoc CAMPA Fund कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स शाखा नई दिल्ली(कोड–0371) में चालान द्वारा स्थानान्तरित कर CA
	e) In case a portion of the Transmission Line to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be felled.	Levies Format संलग्न की गई है। Annexure -B & E

11	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लिखित सहमति दी गई है।
12	a) No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गय है। Annexure -H
	b) Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमलि व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गय है। Annexure -I
13	The period of diversion under this approval shall be co -terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लिखि सहमति दी गई है।
14	a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमा व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गर है। Annexure -J
	b) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमा व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गर है। Annexure -J
15	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/2017 -FC dt. 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमा व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गर है। Annexure -K
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमगि व्यक्त करते हुए वचनबद्धता (Undertaking) समर्पित किया गय है। Annexure -K
17	The compliance report shall be uploaded on e - portal (https://parivesh.nic.in)	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लिखिन सहमति दी गई है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर को सम्बोधित पत्रांक 452 दिनांक 17.08..2019 में स्टेज – 1 स्वीकृति प्रदत्त वनभूमि में कार्यानुमति देने का अनुरोध किया गया है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के प्रासंगिक पत्र में लगायी गयी शर्त्तों का उक्त रूप से अनुपालन किये जाने के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण को स्टेज – 1 प्रदत्त 8.763 हे० वनभूमि में कार्यानुमति देने हेतु विचारोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है । Ru

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर ज्ञापांक 2630 दिनांक 19.08.2019 के साथ प्राप्त अनुलग्नकों की 5(पाँच) प्रतियाँ अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त अनुपालन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनु०ः– यथोक्त ।

विश्वासभाजन AL क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, 298/19